न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/2022

जमवाय माता चेरीटेबल ट्रस्ट संचालक दिलीप कुमार पुत्र बसन्तलाल जाति महाजन, निवासी भोड़की तहसील गुढा गोड़जी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम जमवाय माता चेरिटेबल ट्रस्ट
अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 12/2021 निर्णय दिनांक 13.1.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 16.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.1.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जमवाय माता चेरीटेबल ट्रस्ट मु0नं0 12/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही गलत रूप से की है। उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अतिकमण नहीं किया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से मरघट दर्ज है। भूमि खस[illegible]362 पर आजादी से पूर्व से जमवाय माता का मंदिर बना हुआ है तथा [illegible] में जमवाय [illegible] चेरिटेबल ट्रस्ट उक्त मंदिर की सार सम्भाल करता है। दिनांक 4.5.20[illegible] भोड़की ने एक प्रस्ता[illegible]कर उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: Self Attested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

अधिकारी उदयपुरवाटी को प्रस्तुत किया जिसके पश्चात उक्त प्रस्ताव के अनुशरण में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को आवंटन नियम 1963 के तहत नियमानुसार भूमि आवंटन किये जाने की अभिशंषा की। इस तथ्य की सिफारिश तहसीलदार ने अपने पक्ष में की, इसलिए उक्त प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। जहां उपखण्ड अधिकारी नियमन की सिफारिश करता है, वहां धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। उक्त अनुशंषा के आधार पर दिनांक 16.6.2005 को तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई है तथा आवंटन/नियमन की सिफारिश की। जहां एक बार 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हो, उस पर दोबारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती । दिनांक 16.6.2005 का निर्णय आज भी अस्तित्व में है। कार्यवाही ड्रोप करते समय आवंटन की सिफारिश की गई है, इसलिए आवंटन की कार्यवाही हो सकती है, धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती।

अपीलांट का कथन है कि उक्त जमवाय माता पर ट्रस्ट के नाम 25 वर्ष से अधिक समय से विद्युत संबंध हैं। उपखण्ड अधिकारी ने अपने जांच में जमवाय माता मन्दिर को अतिक्रमी नहीं माना क्योंकि उक्त मंदिर 1956 से पूर्व से बना हुआ है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। भूमि खसरा नंबर 3362 के बाबत नियमन व आवंटन की पत्रावली जिला कलेक्टर के समक्ष लम्बित है, जबकि आवंटन व नियमन की अभिशंषा के तहत पत्रावली जिला कलेक्टर के समक्ष लम्बित हो तब तहसीलदार धारा 91 की कार्यवाही करना क्षेत्राधिकार के बार है। अदालत मातहत ने दिनांक 16.6.2005 व 13.1.2022 दो निर्णय कर रखे हैं। पूर्ववृति निर्णय दिनांक 16.6.2005 आज भी अस्तित्व में है, इसलिये अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही गलत रूप से की है तथा गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार [illegible] कर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 13.1.2022 निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत [illegible] पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि पूर्व के निर्णय व जांची के संबंध में नियमन व आवंटन की सिफारिश की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत ने धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही गलत रूप से की है। उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से मरघट दर्ज है। भूमि खसरा नंबर 3362 पर आजादी से पूर्व से जमवाय माता का मंदिर बना हुआ है तथा वर्तमान में जमवायमाता चेरिटेबल ट्रस्ट उक्त मंदिर की सार सम्भाल करता है। दिनांक 4.5.2005 को ग्राम पंचायत भोड़की ने एक प्रस्ताव लेकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को प्रस्तुत किया जिसके पश्चात उक्त प्रस्ताव के अनुशरण में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को आवंटन नियम 1963 के तहत नियमानुसार भूमि आवंटन किये जाने की अभिशंषा की। इस तथ्य की सिफारिश तहसीलदार महोदय ने अपने पक्ष में की, इसलिए उक्त प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। जहां उपखण्ड अधिकारी नियमन की सिफारिश करता है,वहां धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। उक्त अनुशंषा के आधार पर दिनांक 16.6.2005 को नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी ने अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई है तथा आवंटन/नियमन की सिफारिश की । जहां एक बार 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हो, उस पर दूबारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती । दिनांक 16.6.2005 का निर्णय आज भी अस्तित्व में है। कार्यवाही ड्रोप करते समय आवंटन की सिफारिश की गई है, इसलिए आवंटन की कार्यवाही हो सकती है, धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती। उक्त जमवाय माता पर ट्रस्ट केनाम 25 वर्ष से अधिक समय से विद्युत संबंध हैं। उपखण्ड अधिकारी ने अपने जांच में जमवाय माता मन्दिर को अतिक्रमी नहीं माना क्योंकि उक्त मंदिर 1956 से पूर्व से बना हुआ है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। भूमि खसरा नंबर 3362 के बा[illegible]न व आवंटन की पत्रावली जिला कलेक्टर के समक्ष लम्बित है, जबकि आवेदन व नियमन [illegible] अभिशंषा के तहत पत्रावली जिला कलेक्टर केसमक्ष लम्बित हो तब तहसीलदार धारा [illegible] की कार्यवाही करना क्षेत्राधिकार के बार है। अदालत मातहत ने दिनांक 16.6.2005 व 13.1.2022 दो निर्णय कर रखे हैं। पूर्ववृति निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: Self Attested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

दिनांक 16.6.2005 आज भी अस्तित्व में है, इसलिये अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही गलत रूप से की है तथा गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 13.1.2022 निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि पूर्व के निर्णय व जांचो के संबंध में नियमन व आवंटन की सिफारिश की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागोड़जी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के समक्ष अपीलांट जमवाय माता चेरीटेबल ट्रस्ट की ओर से धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि– उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से मरघट दर्ज है। भूमि खसरा नंबर 3362 पर आजादी से पूर्व से जमवाय माता का मंदिर बना हुआ है तथा वर्तमान में जमवाय माता चेरिटेबल ट्रस्ट उक्त मंदिर की सार सम्भाल करता है। दिनांक 4.5.2005 को ग्राम पंचायत भोड़की ने एक प्रस्ताव लेकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को प्रस्तुत किया जिसके पश्चात उक्त प्रस्ताव के अनुशरण में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को आवंटन नियम 1963 के तहत नियमानुसार भूमि मंदिर को आवंटन किये जाने की अभिशंषा की। इस तथ्य की सिफारिश तहसीलदार ने चेरीटेबल ट्रस्ट के पक्ष में [illegible] उक्त प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। जहां उपखण्ड अधिकारी [illegible] सिफारिश करता है, वहां धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही संस्थित नहीं की [illegible] उक्त अनुशंषा के आधार पर दिनांक 16.6.2005 को नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी ने अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही स्थगित की थी तथा आवंटन/नियमन की सिफारिश की गई तथा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुझुनूं

खसरा नंबर 3362 के बाबत नियमन व आवंटन की पत्रावली जिला कलेक्टर के समक्ष लम्बित है, आदि तथ्य अंकित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने अपीलांट जमवाय माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जवाब में उठाये गये तमाम तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। अपीलांट का कथन कि मंदिर प्रचीन है और धर्मशाला आदि वर्षों पुराने बने हुये हैं, पुराने विद्युत कनेक्शन आदि हैं तथा पूर्व में धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही ड्रोप की जाकर विवादित भूमि मंदिर के नाम आवंटित करने हेतु तहसीलदार, व उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्ताव जिला कलक्टर झुंझुनू को भिजवाया गया है तथा भूमि राजस्व रिकार्ड में मरघट गलत दर्ज है आदि ऐसी स्थिति में तहसीलदार गुढ़ागोड़जी द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट जमवाय माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना किये बिना ही वर्षों पुराने बने मंदिर एवं धर्मशाला आदि पक्के मकानात जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अतिक्रमित नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ बने हुये हैं, ऐसी परिस्थितियों में एक बार धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप कर नियमन की सिफारिश करना और फिर उसी भूमि के संबंध में पुनः धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर बिना विधिक प्रावधानों एवं राजस्व रिकार्ड एवं अन्य तथ्यों की बिना विवेचना किये दो लाईन को निर्णय पारित कर विवादित भूमि पर ट्रस्ट द्वारा आमजन की सुविधा के लिये बनाये गये पक्के मकानात/धर्मशाला आदि को बेदखल किये जाने का आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गोड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.1.2022 उनवानी सरकार बनाम जमवाय माता चेरिटेबल ट्रस्ट मु0नं0 [illegible] निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुढा गौड़जी को इन निर्देशों [illegible] जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण [illegible] को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अन्य तमाम तथ्यों का विधिक रूप से परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

16.9.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

अति. जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested